


31-10-25

पत्रावली पेश हुई वकील डिफेंडर उपस्थित।
 तहसीलदार मांडल से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे
 शा.पठ किया गया, रिपोर्ट में बताया गया कि
 निर्णय एंव डिफेंडर की पालना में मामान्तर्य संख्या
 1703 दिनांक 8-7-24 को पालना की जा चुकी है
 प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
 अतः प्रकरण इसी स्वर पर झोप दिया जाता है।
 पत्रावली फाइल नुमांदा होकर नम्बर से कम हो।

15/10/25


 उपखण्ड अधिकारी
 मांडल जिला भीलवाड़ा

डिफेंडर का पत्र
 15/10/25